भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 29

गुरूवार, 03 फरवरी, 2022/14 माघ, 1943

प्रवासी मजदूरों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए निगरानी केन्द्र

***29 श्री नीरज डांगी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रवासी मजदूरों की आवाजाही पर नजर रखने और कोविड-19 से जुड़ी नौकरी संबंधी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए स्थापित किए गए निगरानी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार देश भर में अन्य स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी केन्द्र स्थापित करने की मंशा रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मौजूदा निगरानी केन्द्रों के लिए अब तक किए गए बजट आवंटन, मंजूरी और उपयोगिता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निगरानी केन्द्रों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ें सार्वजनिक रूप से सुलभ हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**

****

प्रवासी मजदूरों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए निगरानी केन्द्रों के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 03.02.2022 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 29 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): निगरानी केंद्रों का विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग): अतिरिक्त निगरानी केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मौजूदा निगरानी केंद्र पर्याप्त हैं।

(घ): निगरानी केंद्रों के लिए अलग से बजट की आवश्यकता नहीं है।

(ङ): शिकायत डेटा व्यक्तिगत शिकायतों से संबंधित है और इसलिए सार्वजनिक रूप से सुलभ नहीं है।

(च): लंबित वेतन, नौकरी की समाप्ति या अन्य सेवा मामलों से संबंधित शिकायतें/परिवेदन निवारण के लिए कार्रवाई करने हेतु निगरानी केंद्र पर प्राप्त किए जाते हैं। यदि शिकायत राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो इसे संबंधित राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाता है।

****

अनुबंध

प्रवासी मजदूरों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए निगरानी केन्द्रों के संबंध में दिनांक 03.02.2022 के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 29 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

निगरानी केन्द्रों की सूची 2022

क्र.सं.	निगरानी केन्द्र का नाम	अधिकार क्षेत्र
1	अहमदाबाद	गुजरात और दादरा, नागर हवेली, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र
2	अजमेर	राजस्थान
3	आसनसोल	पश्चिम बंगाल का आसनसोल क्षेत्र (बर्दवान, बीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया जिले)
4	बैंगलोर	कर्नाटक
5	भुवनेश्वर	ओडिशा
6	चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
7	चैन्नई	तमिलनाडु और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र
8	कोचीन	केरल और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
9	देहरादून	उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश
10	दिल्ली	दिल्ली
11	धनबाद	झारखंड
	गुवाहाटी	असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश
13	हैदराबाद	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का यनम
14	जबलपुर	मध्य प्रदेश
15	कानपुर	पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश
16	कोलकाता	बर्दवान, बीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया जिले को छोड़कर पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र और सिक्किम
17	मुंबई	नागपुर क्षेत्र और गोवा के क्षेत्राधिकार को छोड़कर महाराष्ट्र
18	नागपुर	महाराष्ट्र का नागपुर क्षेत्र (नागपुर, भंडारा, अकोला, वर्धा, बुलढाना, जलगाँव, चंद्रपुर, नांदेड़, लातूर, बीड, येओतमल)
19	पटना	बिहार
20	रायपुर	छत्तीसगढ़
21	मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) - मुख्यालय, नई दिल्ली	संपूर्ण भारत

****